न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 83 / 2017 / अपील / एल.आर.एक्ट / कोटा
दायरा दिनांकः 26.07.2017
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. रघुनाथ पुत्र गणेशराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम कराड़ का बरधा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी।

....अपीलाट्स

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :

1. ब्रजनारायण शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट।
2. प्रधुमन शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट।
3. पेरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

:::निर्णय:::

दिनांक 03.09.2019

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 166 / 2016 (अपील) बउनवान रघुनाथ बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 18.01.2017 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 में इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम ठीकरिया चारणान में स्थित भूमि खसरा संख्या–85 का सन 1983 में सह खातेदार दोल्या पुत्र श्री घासी धाकड़ दर्ज था। उक्त खातेदार की मृत्यु होने पर उनके जीवनकाल में किये गये दत्तक पुत्र गणेश पुत्र श्री भज्या के नाम इन्तकाल खोला जाना चाहिए था। लेकिन सहवन से अपीलार्थी के पिता गणेश के पिता का नाम गेन्दिया करते हुये नामान्तकरण नम्बर–100 दिनांक 02.01.1983 खोल दिया गया। जबकि खातेदार मृतक दोल्या की अन्य भूमियों पर गणेश का नाम ही दर्ज किया गया हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि की दुरूस्ती की अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जो कि समयाबाधित होने से खारिज की गयी है। अपीलार्थी के पिता का नाम तत्कालीन सभी दस्तावेजो में गणेश पुत्र दोल्या दर्ज हैं तथा गेन्दिया नाम के व्यक्ति को दोल्या ने कभी गोद नहीं लिया हैं और ना ही गेन्दिया नाम के व्यक्ति का अस्तित्व ही रहा हैं। वरन् गणेश को ही गेन्दिया नाम से ही बोला जाने से उक्त नाम अंकित कर दिया हैं जो दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर इन्तकाल नम्बर–100 में दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावें।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अपील प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मिमो मे वर्णित उपरोक्त तथ्यो को दोहराते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया। बहस के दौरान आर.आर.टी. 2017(2) पेज न0–1104 व आर.आर.टी. 2018(1) पेज न0–601 लिमिटेशन हेतु नजीरे पेश की। वक्त बहस अपील विलम्ब से पेश होने का कारण निरक्षता होना बताया।

4 पेरोकार सरकार ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 02.01.1983 को तस्दीकशुदा है। इस नामान्तरण की जानकारी अपीलांट को 33 वर्षों के पश्चात कैसे , किसके द्वारा हुई, यह प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं है। विश्वसनीय एवं संतोषजनक कारण कन्डोन किया न्यायोचित नहीं है। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा ऐसा कोई सबूत यथा राशन कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, निर्वाचन नामावली, आधार कार्ड पेश नहीं किए जिससे उसके कथन की पुष्टि होती हो। अपीलांट ने अन्य हितबद्व खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5 हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का उवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर परीक्षण करते हुये विलम्ब की अवधि को क्षमा करने के प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को समुचित नहीं मानने के निर्णय से हम सहमत हैं। अपील प्रस्तुत करने में 33 वर्ष के विलम्ब को सदभाविक नहीं माना जा सकता।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत होने के कारण खारिज करने में कोई भूल करने के कारण हमउ क्त निर्णय में हस्तक्षेप उचित नही समझते।

6 परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

7 निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा